

कार्यालय अंचल अधिकारी

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

192

दिनांक

24/6/11

हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा किया गया शपथ-पत्र जिसका क्रमांक 945/24.5 के आधार पर आवेदक जाति के है।

ग्राम पथरिया, जिला मधेपुरा के वासी है।

आवेदक की माता मधुबती है।

आवेदक के पिता साधु देव है। इनके माता/पिता के नाम से

धारित जमीन जिसका खाता नं० 321 एवं खेसरा नं० 12852

रकबा 0.12 है जमाबंदी नं० है इनके आय का स्रोत

कृषि से

नौकरी से 1,85,000/-

व्यवसाय से

अन्य स्रोत से

कुल आय 1,85,000/- है।

(एपी रजिस्ट्री से)

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र समर्पित किया गया एवं आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इस बात की पूर्ण जाँच कर ली गई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल पिटीशन संख्या 631/94 दिनांक 4-9-95 को पारित आदेश कार्मिक लोक शिकायत पेशन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 8-9-93 के आलोक में इसकी जाँच कर ली गई है।

अंचल अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पिता/पति हरिनाथ झा

ग्राम पथरिया

जिला मधेपुरा

अनुमंडल मधेपुरा

बिहार पदों एवं सेवाओं की शक्तियों में आरक्षण (सनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ

एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) पिछड़ा वर्ग

(अनुसूची-2) के अन्तर्गत जाति के सदस्य है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. नं० 36012/22/93, ई० एस० टी०

(एस० सी० टी०) दिनांक 8-9-93 की अनुसूची में निर्दिष्ट (किमीलेयर) के अन्तर्गत नहीं आते है।

नोट जो लागू नहीं हो उसे काट दे।

अंचल अधिकारी